

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शि0)-बोकारो / PDS-18 / 2022 - 256
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 1.03.2024

विषय:- परिवारी श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0-भेंडरा, प्र0-नावाडीह,
जिला-बोकारो से प्राप्त परिवार पत्र के मामले में आयोग द्वारा वाद
सं0-19/2023 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवारी श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0-भेंडरा, प्र0-नावाडीह, जिला-बोकारो द्वारा आयोग के व्हाटसएप्प के माध्यम से अपील आवेदन समर्पित किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के भेंडरा पंचायत के कुल 04 डीलरों के विरुद्ध माह दिसम्बर 2021 का PMGKAY का राशन वितरण नहीं करने की शिकायत की गई थी। (अपील आवेदन की प्रति संलग्न)

उक्त मामले में सुनवाई के क्रम में दिनांक-17.11.2023 को आयोग द्वारा पारित आदेश में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक-12.06.2023 को समर्पित प्रतिवेदन की प्रति पूरे प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने हेतु विभाग को प्रेषित किये जाने का निदेश प्राप्त है।

अतः विषयांकित वाद में दिनांक-17.11.2023 को पारित आदेश के आलोक में परिवारी द्वारा दिनांक-12.06.2023 को समर्पित आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।